रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2019/अग्रहायण 4, 1941
No. 419] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2019/AGRAHAYANA 4, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 13 नवम्बर, 2019

सं. टीएएमपी/18/2013-विविध.—भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय से 15 अक्तूबर 2019 की संसूचना के अनुपालन में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा 30 सितम्बर, 2013 के आदेश संख्या टीएएएमपी/18/2013-विविध द्वारा अधिसूचित "महापत्तन परियोजना प्रशुल्क निर्धारण संशोधन दिशानिर्देश 2013" की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/18/2013-विविध

गणपूर्ति:

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(नवम्बर, 2019 के 7वें दिन पारित)

1.1 पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने 9 सितम्बर 2013 और 12 सितम्बर 2013 की अपनी संसूचना संख्या पीआर/14019/16/2012-पीजी के द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अंतर्गत अधिसूचित "महापत्तन परियोजना प्रशुल्क निर्धारण संशोधन दिशानिर्देश 2013" जारी किये।

1.2 महापत्तन परियोजना प्रशुल्क निर्धारण के लिए उक्त् दिशानिर्देश महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नीतिगत निदेशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में 30 सितम्बर 2013 के राजपत्र संख्या 256 में अधिसूचित किये गए थे।

2. उक्त दिशानिर्देशों, जिन्हें इसमें इसके बाद संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 कहा जायेगा, का खंड 1.6 अनुबद्ध करता है कि जब तक पहले इनका परिसंहरण अथवा आशोधन नहीं हो जाता, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन इनके जारी होने की तारीख से 5 वर्ष पश्चात् किया जायेगा। तदनुसार, कथित संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 जो 9 सितम्बर 2013 को प्रभावी हुए थे और 8 सितम्बर, 2018 तक वैध थे।

3. "महापत्तन परियोजना प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2013" की वैधता को 8 सितम्बर 2019 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करने के एमओएस के 10 दिसंबर, 2018 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-III) के अनुसरण में इस प्राधिकरण ने 7 जनवरी, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2013-विविध के द्वारा महापत्तन परियोजना प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2013" की वैधता का उसकी समाप्ति की तारीख से 8 सितम्बर 2019 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक विस्तार किया था। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 16 जनवरी, 2019 को राजपत्र संख्या 16 में अधिसूचित हुआ था।

4. संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश इस प्राधिकरण और एमओएस द्वारा महापत्तन न्यासों के साथ परामर्श करते हुए समीक्षाधीन हैं। चूंकि संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने में अभी कुछ और समय लगेगा और संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों की विस्तारित वैधता 8 सितम्बर, 2019 को समाप्त हो गई है, एमओएस को संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 की वैधता को और 6 महीने की अवधि तक यानी 09 सितम्बर, 2019 से 8 मार्च, 2020 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था ताकि यह प्राधिकरण इस बीच की अवधि में संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित करने में सक्षम हो सके, जब तक कि एमओएस द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश जारी नहीं कर दिये जाते। एमओएस ने 15 अक्तूबर, 2019 के पत्र के द्वारा "महापत्तन परियोजना प्रशुल्क निर्धारण संशोधन दिशानिर्देश" की वैधता का विस्तार और 6 महीने की अवधि के लिए यानी 8 मार्च, 2020 तक करने का सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया है।

5. तदनुसार, यह प्राधिकरण एतद् द्वारा "महापत्तन परियोजना प्रशुल्क निर्धारण संशोधन दिशानिर्देश" की वैधता का विस्तार उनकी समाप्ति की तारीख से यानी 9 सितम्बर, 2019 से और 6 महीने की अवधि के लिए यानी 8 मार्च, 2020 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, करता है।

टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./307/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th November, 2019

No. TAMP/18/2013-Misc.—In pursuance of communication dated 15 October 2019 received from the Government of India in Ministry of Shipping, the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the 'Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013', notified vide Order No. TAMP/18/2013-Misc on 30 September 2013, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

No. TAMP/18/2013-Misc

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 07th day of November, 2019)

1.1. The Ministry of Shipping (MOS) vide its communication No. PR-14019/16/2012-PG dated 9 September 2013 and 12 September 2013 issued Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013 under Section 111 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963).

1.2. The said Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013 were notified by TAMP in the Gazette of India on 30 September 2013 vide Gazette No. 254 in compliance of policy direction issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963. These guidelines came into effect from 9 September 2013.

2. Clause 1.6 of the said guidelines referred here as Reference Tariff Guidelines of 2013 stipulates that unless revoked or modified earlier, the Guidelines may be reviewed and revised after 5 years from the date of its issue. Accordingly, the said Reference Tariff Guidelines, 2013 which came into effect from 9 September 2013 was valid till 8 September 2018.

3. In pursuance of the MOS letter No. PR-14019/20/2009-PG (pt-III) dated 10 December 2018 extending the validity of "Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013" till 8 September 2019 or until further orders, whichever is earlier, this Authority vide its Order No. TAMP/18/2013-Misc dated 7 January 2019 had extended the validity of the 'Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013' from the date of its expiry till 8 September 2019 or until further orders, whichever is earlier. The said Order was published in the Gazette of India on 16 January 2019 vide Gazette No. 16.

4. The Reference Tariff Guidelines are under review by this Authority and MOS in consultation with the Major Port Trusts. Since the finalization of the Reference Tariff Guidelines may take some more time and the extended validity of the existing Reference Tariff Guidelines had expired already on 8 September 2019, the MOS was requested to extend the validity of Reference Tariff Guidelines, 2013 for a further period of six months i.e. from 9 September 2019 to 8 March 2020 so as to enable the Authority to fix Reference Tariff during the intervening period till the revised guidelines to be issued by the MOS comes into force. The MOS vide its letter dated 15 October 2019 has conveyed the approval of the Competent Authority to extend the validity of Revised "Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013" for further period of 6 months i.e. till 8 March 2020.

5. Accordingly, this Authority hereby extends the validity of the 'Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013" for the further period of six month from the date of its expiry i.e from 9 September 2019 till 8 March 2020 or until further orders, whichever is earlier.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./307/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA